आर्यावर्त बैंक
प्रधान कार्यालय
ए-2/46, विजय खण्ड,गोमतीनगर,लखनऊ,226010

सन्दर्भ: प्र0का0/मानव संसाधन एवं औ.वि./ए.सी. **परिपत्र संख्याः 05/233**
दिनांक: 02-02-2024

महाप्रबन्धक,
सहायक महाप्रबन्धक,
क्षेत्रीय प्रबन्धक,
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय
मुख्य प्रबन्धक
समस्त विभाग, प्रधान कार्यालय/कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र
शाखा प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक,स्टाफ सदस्य
समस्त शाखाएं

समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत दावा प्रेषित करने के सम्बन्ध में

कृपया बैंक के पूर्व परिपत्र संख्या 04/210 दिनांक 27.01.2023 एवं 04/217 दिनांक 09.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से क्रमशः बैंक के सेवानिवृत्त सदस्यों /दिवंगत सदस्यों के आश्रितों तथा कार्यरत कार्मिको हेतु समूह चिकित्सा बीमा जो 01.02.2023 से 31.01.2024 तक प्रभावी थी, लागू की गयी थी।

सभी कार्मिक अवगत ही है कि सम्बंधित बीमा पॉलिसी सं **410123020000168 (कार्यरत कार्मिक हेतु)** एवं **410123020000171 (सेवानिवृत्त सदस्यों एवं दिवंगत सदस्यों के आश्रितों हेतु)** की अवधि **31.01.2024** को पूर्ण हो चुकी है। पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार कार्मिकों द्वारा अस्पतालीकरण व्ययों से सम्बन्धित दावा डिस्चार्ज होने के एवं घरेलू उपचार (ओ.पी.डी) व्यय के 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उक्त के क्रम में सभी कार्यरत /सेवानिवृत्त सदस्यों एवं दिवंगत सदस्यों के आश्रितों को यह सलाह दी जाती है कि पॉलिसी के नियमों और शर्तो के अनुसार, 31.01.2024 तक के सभी पात्र दावों को दिनांक 23-02-2024 तक क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से टी.पी.ए./प्रधान कार्यालय में स्थापित हेल्प डेस्क पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। दिनांक 23-02-2024 के पश्चात दावा प्रेषित करने पर दावों के निपटान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसके लिए संबंधित कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी होगा।

समस्त शाखायें एवं कार्यालय, चिकित्सा बीमा योजना से सम्बन्धित उपरोक्त दिशा-निर्देशों को सभी कार्यरत /सेवानिवृत्त सदस्यों एवं दिवंगत सदस्यों के आश्रितों के संज्ञान में लायें एवं परिपत्र पर कार्यरत कार्मिकों की अभिस्वीकृति प्राप्त कर शाखा अभिलेखों में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें। किसी भी असुविधा के लिये टी.पी.ए. एवं प्र0का0 में स्थापित हेल्प डेस्क के प्रतिनिधियों से तत्काल सम्पर्क करें।

(अरविन्द कुमार सिंह)
महाप्रबंधक